



स्थानीय राजपत्र

शैलुङ गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड: ५,

संख्या: १,

१३ असार, २०७८

भाग-१

शैलुङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
काटाकुटी दोलखा
बागमती प्रदेश, नेपाल

“ आर्थिक ऐन, २०७८ ”

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गते देखि शैलुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची-१ बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । एकीकृत सम्पत्ति करको हकमा प्रचलित कानून अनुसार स्वीकृत भै लागू भएमा सोही बमोजिम र उक्त कानूनहरूमा व्यवस्था नभएमा कार्यपालिकाको निर्णय वा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३. **भूमी कर (मालपोत) :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची-२ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
४. **घर बहाल कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची ३ बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधार तथा गाउँपालिकामा दर्ता भएका साथै अन्य निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरुको अनुसूची-४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची-५ बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
७. **विज्ञापन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची-६ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. **मनोरञ्जन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची-७ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. **बहाल विटौरी शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची-८ मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१०. **पार्किङ शुल्क :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची-९ बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
११. **ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर ज्याप्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, घोडचढी, पदयात्रा सञ्चालन शुल्क :** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफलायर र ज्याप्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत अनुसूची-१० बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. **सेवा शुल्क :** गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची-११ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१३. पर्यटन प्रवेश शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची-१२ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१४. दर्ता, नवीकरण तथा सिफारिश दस्तुर : गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँने दर्ता, नवीकरण सिफारिश दस्तुर तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क अनुसूची-१३ मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा असुल गरिनेछ ।
१५. घर नक्सापास तथा निर्माण शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रमा घर निर्माण तथा नक्सापास सम्बन्धी शुल्क अनुसूची-१४ मा उल्लेखित दरमा असुल गरिनेछ ।
१६. दहत्तर बहत्तर: माथि उल्लेखित विषय बाहेक बालुवा, गिटी, रोडा, ढुङ्गा बिक्री, जल विद्युत, खानीजन्य पदार्थमा अनुसूची-१५ मा उल्लेख भए वा प्रदेश कानून बमोजिमको कर लगाईने छ ।
१७. वातावरण तथा सामाजिक विकास शुल्क : गाउँपालिका भित्र सञ्चालित जलविद्युत/लघु जलविद्युत आयोजना तथा अन्य आयोजनाहरूसँग प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेवापत वातावरण तथा सामाजिक विकास शुल्क कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार असुल गरिनेछ ।
१८. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई सामान्यतया कर छुट दिईने छैन । विशेष परिस्थितिमा कर छुट दिने अधिकार गाउँ सभामा निहित रहनेछ ।
१९. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।
२०. विविध: यस ऐनमा उल्लेख नभएका कर, शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१

१. सम्पत्ति कर

(क) एकीकृत सम्पत्ति कर :

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा कार्यविधि निर्माण गरी गाउँ कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिमको दर र क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइनेछ ।

(ख) घरजग्गा कर :

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका प्रत्येक पक्की तथा कच्ची घरहरुमा तपसिल बमोजिम घरजग्गा कर लगाइनेछ ।

| क्र.सं. | घरको प्रकार | इकाई | दस्तुर रु. | | |
|---------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| | कच्ची घर | | | | |
| १ | ढुङ्गा, माटो र काठको घर १ तला सम्म | गोटा | २०० | २०० | २०० |
| २ | ढुङ्गा, माटो र काठको घर १ तला भन्दा माथी | गोटा | ५०० | ३०० | ३०० |
| | पक्की/ढलान घर | | | | |
| ३ | पक्की घर व्यवसायीक | वर्ग फीट | ४ | ३ | १ |
| ४ | पक्की घर आवासिय | वर्ग फीट | ३ | २ | ०.५ |

क) यो आर्थिक वर्ष भित्र कर दाखिला गरेमा पुरा कर तिर्नु पर्नेछ। चा.लु आ.व पछि अर्को आ.व मा कर दाखिला गरेमा ५% जरिवाना लाग्नेछ।

अनुसूची-२

२. भूमिकर (मालपोत) :

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गामा प्रति रोपनी रु. ८/- का दरले भूमिकर (मालपोत) लगाइनेछ ।

अनुसूची-३

३. घर बहाल कर : गाउँपालिका क्षेत्रमा बहालमा लगाइएको घरमा बहाल रकमको ५% का दरले घर बहाल कर संकलन गरिनेछ । गाउँपालिकामा रहेका भवनहरूमा तपशिल बमोजिमको कर लगाइनेछ ।

| क्र.सं | विवर | प्रतिदिन | आ.व. २०७६ /७७ | आ.व. २०७७/ ७८ | आ.व. २०७८/ ७९ |
|--------|------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| १ | गाउँ कार्यपालिका को हल | प्रतिदिन | | | १००० |
| २ | गाउँपालिका को सभाहल | प्रतिदिन | | | २००० |

नोट:गाउँपालिकाको कार्यपालिका हल तथा सभाहल प्रयोग गर्दा सामान फुटाएमा गाउँपालिकाकाले तोके बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची-४

४. व्यवसाय कर :गाउँपालिकामा तथा अन्य निकायमा दर्ता भएका देहाय बमोजिमको व्यवसायमा देहाय बमोजिम व्यवसाय कर लगाईनेछ

| क्र.सं | व्यवसायको नाम | बार्षिक दर रु | | |
|--------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | आ.व. २०७६/ ७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/ ७९ |
| १ | मदिरा (रक्सी) जन्य तथा सूतीजन्य व्यवसाय | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ४००० | ४००० | २००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २००० | २००० | १००० |
| २. | इलेक्ट्रीक तथा इलेक्ट्रोनिक्स | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ४००० | ४००० | २००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २००० | २००० | १००० |
| ३. | कपडा पसल | | | |
| | क)कपडा पसल (खुद्रा विक्रेता) | १००० | १००० | ५०० |
| | ख) फेन्सी कपडा (रेडिमेड) | १००० | १००० | ५०० |
| ४. | गहना (ज्वेलरी) पसल | | | |
| | क) सवै खाले गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | ५००० | ५००० | २००० |
| | ख) स-साना गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | २००० | २००० | १००० |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|------|
| ५. | हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स | | | |
| | क) थोक विक्रेता | १०००० | १०००० | ५००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ५००० | ५००० | २००० |
| ६. | कम्प्युटर, टेलिभिजन, फोटोकपी, विद्युत सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन र रेडियो | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ३००० | ३००० | १००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | १००० | १००० | ५०० |
| ७. | पेट्रोल/ डिजेल पम्प तथा ग्याँस | | | |
| | क) पेट्रोल र डिजेल पम्प | ८००० | ८००० | ४००० |
| | ख) ग्यास तथा मट्टितेल बिक्री गर्ने | ३००० | ३००० | १००० |
| ८. | दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल समेत) | | | |
| | क) थोक विक्रेता | १००० | १००० | १००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ७०० | ७०० | ५०० |
| ९. | पर्यटन, व्यवसाय, आवास, होटेल, रेस्टुरा, रिसोर्ट | | | |
| | क) ५० लाख १ रुपैया लाख भन्दा माथि पुँजी भएका | १५००० | १५००० | ३००० |
| | ख) २५ लाख १ रुपैया देखि ५० लाख सम्म पुँजी भएका | ८००० | ८००० | २००० |
| | ग) १० लाख १ रुपैया देखि २५ लाख सम्म पुँजी भएका | ७००० | ७००० | १००० |
| | घ) ५ लाख १ रुपैया देखि १० सम्म लाख सम्म पुँजी भएका | ३००० | ३००० | ३०० |
| | ङ) १ लाख १ रुपैया देखि ५ लाख सम्म पुँजी भएका | २००० | २००० | २०० |
| | च) १ लाख सम्म पुँजी भएका | १००० | १००० | १०० |
| १०. | कार्पेट | | | |
| | क) थोक विक्रेता | २००० | २००० | १००० |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | १००० | १००० | ५०० |
| ११. | सेवा तथा उद्योग | | | |
| | क) परामर्श सेवा | २५०० | २५०० | १००० |
| | ख) फोटोग्राफी | २,००० | २,००० | ५०० |
| | ग) शीत भण्डार | ५,००० | ५,००० | २००० |
| १२. | निर्माण तथा औद्योगिक सेवा | | | |
| | क) सडक, पुल तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स | १०,००० | १०,००० | ५००० |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------|-------|
| | आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | | | |
| १३. | विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा | | | |
| | क) इन्जिनियर | २,००० | २,००० | १००० |
| | ख) कानून व्यवसायी | २,००० | २,००० | १००० |
| | ग) लेखा परिक्षक | २,००० | २,००० | १००० |
| | घ) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता | २,५०० | २,५०० | १००० |
| | ङ) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर | २,००० | २,००० | १००० |
| | च) वीमा एजेन्ट | २,००० | २,००० | १००० |
| | छ) सर्भेयर | २,००० | २,००० | १००० |
| | ज) सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनी | २,००० | २,००० | १००० |
| | झ) संस्थागत पेन्टर | ३,००० | ३,००० | १००० |
| | ञ) ग्रिल, आरान तथा मेटल उद्योग | | | ५०० |
| | ट) फ्लो साबुन उद्योग | | | ५०० |
| १४. | सवारी साधन बिक्री केन्द्र | | | |
| | क) सवारी साधन विक्रेता | १०,००० | १०,००० | ५००० |
| १५. | उत्पादन मूलक उद्योग | | | |
| | क) कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | ५,००० | ५,००० | २००० |
| १६. | कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग | | | |
| | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग (उत्पादन गर्ने) | ५,००० | ५,००० | ३००० |
| | ख) वन पैदावारमा आधारित व्यवसायमा | ३,००० | ३,००० | २००० |
| | ग) कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा ५ लाख सम्म चालु खर्च भएका | २,००० | २,००० | ५०० |
| | घ) कृषिमा आधारित उद्योग/व्यवसायमा ५ लाख भन्दा माथी चालु खर्च भएका | | | १००० |
| १७. | गाउँपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसाय | | | |
| | क) क श्रेणीको | | २५,००० | १४००० |
| | ख) ख श्रेणीको | | २०,००० | ११००० |
| | ग) ग श्रेणीको | | १५,००० | ८००० |
| | घ) घ श्रेणीको | १०,००० | १०,००० | ५००० |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|------|
| १८. | खनिज उद्योग | | | |
| | क) खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसाय | १०,००० | १०,००० | ५००० |
| १९. | उर्जा मूलक उद्योग | | | |
| | क) जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, बायोग्यास, अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५,००० | ५,००० | २००० |
| २०. | स्वास्थ्य सेवा | | | |
| | क) गैर सरकारी अस्पताल | ७,००० | ७,००० | ५००० |
| | ख) नर्सिङ होम | ६,००० | ६,००० | ३००० |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याब | ५,००० | ५,००० | २००० |
| २१. | सञ्चार सेवा | | | |
| | क) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा | १,००० | १,००० | ५०० |
| | ख) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाइल फोन, STD, ISTD इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि | २,००० | २,००० | १००० |
| | ग) कुरियर सेवा | १,००० | १,००० | ५०० |
| २२. | शिक्षा सेवा | | | |
| | क) निजी क्षेत्रका स्कूल | ३,००० | ३,००० | २००० |
| | ख) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | २,००० | २,००० | १००० |
| | ग) टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | २,००० | २,००० | १००० |
| २३. | मर्मत सम्भार | | | |
| | क) हेवी इक्विपमेन्टस् बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, टेम्पो, साइकल आदि मर्मत कारखाना | ४,००० | ४,००० | २००० |
| | ख) रेडियो, टि.भि., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र | २,००० | २,००० | १००० |
| २४. | वित्तिय सेवा | | | |
| | क) नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैंक | १०,००० | १०,००० | ५००० |

| | | | | |
|-----|---|-------|-------|------|
| | ख) आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | ८,००० | ८,००० | ४००० |
| | ग) वित्तीय कम्पनीको शाखा कार्यालय | ३,००० | ३,००० | २००० |
| | घ) वीमा कम्पनी | ८,००० | ८,००० | ४००० |
| | ङ) विदेशी मुद्रा सटही | ३,००० | ३,००० | २००० |
| | च) धितोपत्र कारोवार | ३,००० | ३,००० | १००० |
| | छ) सहकारी बैंक | २,००० | २,००० | १००० |
| २५. | अन्य व्यवसाय | | | |
| | क) पार्क पिकनिक स्पट | १,००० | १,००० | ५०० |
| | ख) टुर अपरेटर | ४,००० | ४,००० | २००० |
| २६. | अन्य सेवा | | | |
| | क) विज्ञापन सेवा | १,५०० | १,५०० | १००० |
| | ख) ब्यूटी पार्लर, केश सिंगार, ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाई सेन्टर आदि | २,००० | २,००० | १००० |
| | ग) साइन बोर्ड बनाउने पेन्टिङ्ग सेवा | २,००० | २,००० | १००० |
| | घ) पशु वधशाला | ३,००० | ३,००० | १००० |
| | ङ) मासु विक्रेता | २,००० | २,००० | १००० |
| | च) फुल र विरुवा विक्रेता | १,००० | १,००० | ५०० |
| | छ) खोटो व्यवसायी | २,००० | २,००० | १००० |
| | ज) सिसा प्लाइउड विक्रेता | ४,००० | ४,००० | २००० |
| | झ) भाँडाकुँडा विक्रेता | २,००० | २,००० | १००० |
| | ञ) स्टिल, काठ, फर्निचर विक्रेता | २,००० | २,००० | १००० |
| | ट) खेलौना, उपहार (गिफ्ट) विक्रेता | १,००० | १,००० | ५०० |

| | | | | |
|-----|--|-------|-------|------|
| | पोल्टी फर्म | | | ५०० |
| २७. | क) फर्म, व्यवसाय, कृषक समूह दर्ता शुल्क लगायत अन्य | १०,०० | १०,०० | ५०० |
| | प्रतिलिपि दस्तुर | | | ५०० |
| २८. | सहकारी दर्ता शुल्क | | | |
| | क) शैलुङ गाउँपालिकाभित्र दर्ता भएको | २,००० | १,००० | १००० |
| | ख) अन्य निकायमा दर्ता भएको | २,००० | २,००० | २००० |

- क) माथि उल्लेख भएको व्यवसायहरूमा सोही अनुसार र उल्लेख नभएको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम कर निर्धारण गरिने छ ।
- ख) कुनै एक व्यवसायको इजाजत लिई अन्य व्यवसाय समेत संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको हकमा इजाजत लिएको व्यवसायको पूरा कर र प्रत्येक थप व्यवसायको करको ४०% ले हुने रकम थप गरी व्यवसाय कर निर्धारण गरिनेछ ।
- ग) चालु आ.व. को श्रावण महिनाभित्र व्यवसाय कर दाखिला गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिईनेछ । चालु आ.व. को श्रावण महिना पछि असोज मसान्तभित्र व्यवसाय कर दाखिला गरेमा पूरा व्यवसाय कर लाग्ने छ । चालु आ.व.को कात्तिक महिनादेखि माघ मसान्तसम्म व्यवसाय कर दाखिला गरे ५ प्रतिशत थप जरिवाना लाग्ने छ । चालु आ.व.को फाल्गुन महिना देखि असार मसान्तसम्म व्यवसाय कर दाखिला गरे १० प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ । चालु आ.व. पछि अर्को आ.व.मा व्यवसाय कर दाखिला गरे २०% प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ ।
- घ) गाउँपालिकामा नयाँ दर्ता भएका व्यवसायमा विगत वर्षमा गरेको कारोबारको व्यवसाय कर गणना गरिने छैन ।

अनुसूची-५

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु सम्बन्धी कर :

क) जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस र अन्य वस्तुको निकासी करको दर

| क्र. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | | |
|------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १ | मजिठो | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| २ | ओखरफलको बोक्रा | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| ३ | ओखर काण्ड बोक्रा | केजी | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ४ | चिराइतो | केजी | २.५० | २.५० | २.५० |
| ५ | चुत्रोको बोक्रा | केजी | १.२५ | १.२५ | १.२५ |
| ६ | कुरिलाको जरा | केजी | १.५० | १.५० | १.५० |
| ७ | सुगन्धवाल | केजी | ४.०० | ४.०० | ४.०० |
| ८ | अल्लो | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| ९ | भ्रयाउ | केजी | ७.०० | ७.०० | ७.०० |
| १० | अर्गेली | केजी | ४.०० | ४.०० | ४.०० |
| ११ | पाखनवेत | केजी | १.५० | १.५० | १.५० |
| १२ | लोक्ता | केजी | ६.०० | ६.०० | ६.०० |
| १३ | ठिग्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | ३.०० | ३.०० | ३.०० |
| १४ | धसिगरेतेल | केजी | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| १५ | अम्रिसो | केजी | १.०० | १.०० | १.०० |
| १६ | जटामसी | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| १७ | तेजपात | केजी | १.०० | १.०० | १.०० |
| १८ | गोब्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | १.०० | १.०० | १.०० |
| १९ | खोल्मे | केजी | १.०० | १.०० | १.०० |
| २० | नागबेली पाउडर | केजी | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
| २१ | खोटो | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| २२ | गोब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| २३ | भिरमह | केजी | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| २४ | सतुवा | केजी | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| २५ | धुपीपात | केजी | ०.५० | ०.५० | ०.५० |
| २६ | नागबेली | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| २७ | काउलोको बोक्रा | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| २८ | अन्य सुगन्धित तेल | केजी | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| २९ | साधारण च्याउ | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| ३० | इन्द्रेयिनीको बियाँ | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| ३१ | नेपाली कागज | कोरी | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ३२ | सल्लो (गोलिया) | क्यु.पि ५ | ८.०० | ८.०० | ८.०० |

| क्र. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | | |
|------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| ३३ | सल्लो (चिरान) | क्यु.पि न | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ३४ | उत्तिस(गोलिया) | क्यु.पि न | ६.०० | ६.०० | ६.०० |
| ३५ | उत्तिस(चिरान) | क्यु.पि न | ७.०० | ७.०० | ७.०० |
| ३६ | अन्य काठ (गोलिया) | क्यु.पि न | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ३७ | अन्य काठ (चिरान) | क्यु.पि न | ६.०० | ६.०० | ६.०० |
| ३८ | भैनियर पत्ता (ट्याक्टर) | ट्रिप | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| ३९ | भैनियर पत्ता (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० |
| ४० | भैनियर पत्ता (ट्रक) | ट्रिप | १०००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| ४१ | भैनियर पत्ता (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| ४२ | भैनियर पत्ता (ट्रक) | ट्रिप | २००.०० | २००.०० | २००.०० |
| ४३ | दाउरा (ट्याक्टर) | ट्रिप | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| ४४ | दाउरा (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ४५ | दाउरा (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ४६ | काठको भुस (ट्याक्टर) | ट्रिप | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| ४७ | काठको भुस (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ४८ | काठको भुस (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ४९ | बाँस | गोटा | १.०० | १.०० | १.०० |
| ५० | वन लसुन | केजी | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ५१ | हाडे लसुन | केजी | ०.२५ | ०.२५ | ०.२५ |
| ५२ | कुरीलो | केजी | २.०० | २.०० | २.०० |
| ५३ | कोइला | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ५४ | बुकीफुल | केजी | ०.२५ | ०.२५ | ०.२५ |
| ५५ | बुकीफुलको तेल | केजी | २००.०० | २००.०० | २००.०० |
| ५६ | अविजालो | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ५७ | निगालो | गोटा | ०.१० | ०.१० | ०.१० |
| ५८ | अलैंची | केजी | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ५९ | लोठ सल्लाको पात | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ६० | लप्सी | केजी | ०.५० | ०.५० | ०.५० |

| क्र. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | | |
|------|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| ६१ | पानी अमला | केजी | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ६२ | शैलुङ गाउँपालिका भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य वस्तुहरुको हकमा गाउँ कार्यपालिको निर्णय बमोजिम हुनेछ । | | | | |

ख) प्रचलित कानूनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पञ्छीको प्वाँख र पशुको हाड,छाला,सिङ्ग र खुर निकासी करको दर

| क्र.स | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | | |
|-------|-----------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/ ७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १ | प्वाँख | के.जी | ३ | ३ | ३ |
| २ | हाड | के.जी | २ | २ | २ |
| ३ | सिङ्ग | के.जी | ३ | ३ | ३ |
| ४ | खुर | के.जी | ३ | ३ | ३ |
| ५ | छाला ठुलो | गोटा | ५० | ५० | ५० |
| ६ | छाला सानो | गोटा | २५ | २५ | २५ |

ग) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | | |
|--------|----------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १ | भैसी जात (भैसी,राँगा आदि) | गोटा | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| २ | गाई जात (गाई,गोरु आदि) | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ३ | भेडा,बाखा, बंगुर जात (| गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|---|
| | भेडा,बाखा, बंगुर आदि) | | | | |
| ४ | कुखुरा/कुखु राको जात (मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | ५००.०० | ००.०० | ५००.०० |
| ५ | कुखुरा/कुखु राको जात (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ६००.०० | ६००.०० | ६००.०० |
| ६ | अण्डा (सात केट बराबर एक बाकस) | बाकस | | | कार्यपालिका बाट निर्धारण भए बमोजिम |
| ७ | आलु | के.जी. | | | |
| ८ | गोलभेडा,का उली, (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | | | |
| ९ | गोलभेडा,का उली, (मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | | | |
| १० | बन्दा,साग (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | | | |
| ११ | बन्दा,साग (मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | | | |
| १२ | लसुन,वेसार, अदुवा,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | | | |
| १३ | लसुन,वेसार, अदुवा,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | | | |

अनुसूची-६

७. होडिड बोर्ड सेवा शुल्क निम्नानुसार लगाईने छ :

- क) होडिड बोर्ड प्रति वर्ग फिट रु. २०/-
ख) अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट रु. २०/-
ग) सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो व्यापार व्यवसायको परिचयको लागि व्यानर टाँगेमा प्रति मिटर ७ दिन सम्म रु ७/- सो पछि प्रतिदिन थप रु. ५/-
घ) १ मीटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १/- र सो भन्दा बढि राख्नु परेमा प्रतिदिन रु. २/-
ङ) आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान बोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने छन् र १ थान भन्दा धेरै बोर्ड राख्नु परेमा माथिको दररेटमा सम्बन्धित व्यवसायीले विज्ञापन कर वापत बुझाउनु पर्नेछ ।
च) प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका व्यवसायसँग सम्बन्धित होडिड राख्न वा भित्तामा विज्ञापन राख्न पाईने छैन

अनुसूची-७

८. मनोरञ्जन कर :

- क) सिनेमाहल वा भिडियो हलहरुमा प्रवेश शुल्कको ३ % का दरले मनोरञ्जन कर असुल गरिनेछ ।

अनुसूची-८

९. बहाल बिटौरी शुल्क :

- क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसल वा व्यवसाय गर्न दिएमा भूमीको अवस्था हेरी गाउँ कार्यपालिकाले तोकिए बमोजिम बहाल बिटौरी कर असुल गरिने छ ।

अनुसूचि-९

१०. पार्किङ शुल्क :

- क) मोटरसाईकलको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु ५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु १० /-
- ख) हलुका सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १०/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. २०/-
- ग) ट्रयाक्टरको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. २५/-
- घ) हेभि सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु २५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. ४०/-

अनुसूची-१०

११. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर च्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, पदयात्रा, घोडचढी आदि जस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा तपसिल बमोजिम शुल्क लाग्नेछ ।

| ट्राभल्स, टुर्स एण्ड मनोरञ्जन | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| क) ट्राभल एजेन्सी, ग्लाइडिङ, वाटर च्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, आदि जस्ता व्यवसायमा । | रु. १०,०००.०० | रु. १०,०००.०० | ५००० |
| ख) फनपार्क, पदयात्रा, घोडचढी आदि । | रु. ७,०००.०० | रु. ७,०००.०० | ५००० |

अनुसूची-११

१२. सिफारिस दस्तुर तथा शुल्क :

वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिसमा लाग्ने कर/दस्तुर/शुल्क :

| क्र.सं. | विवरण | रकम रु. | | |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १) | घर जग्गा, नामसारी सिफारिस | २००/- | २००/- | २००/- |

| | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|
| २) | मोही लगत कट्टा सिफारिस | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| ३) | घर कायम सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| ४) | छात्रवृत्ति सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| ५) | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| ६) | अपाङ्गता सिफारिस | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| ७) | अस्थायी बसोबास सिफारिस | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| ८) | स्थायी बसोबास सिफारिस | २००/- | २००/- | २००/- |
| ९) | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | २०० /- | २०० /- | २०० /- |
| १०) | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| ११) | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| १२) | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| १३) | विद्युत जडान सिफारिस | १०० /- | १०० /- | १०० /- |
| १४) | धारा जडान सिफारिस | १०० /- | १०० /- | १०० /- |
| १५) | जिवित रहेको सिफारिस | ३०० / - | ३०० / - | ३०० / - |
| १६) | दुवै नाम गरेको एकै व्यक्ति हो भन्ने सिफारिस/फरक जन्ममिति संशोधन सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| १७) | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस/प्रमाणित | ०.१% | ०.१% | ०.०५% |
| १८) | व्यवसाय बन्द सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| १९) | व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| २०) | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | १०० /- | १०० /- | १०० /- |
| २१) | कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस | निशुल्क | निशुल्क | निशुल्क |
| २२) | नाबालक परिचयपत्र सिफारिस | २०० /- | २०० /- | २०० /- |
| २३) | चौपाय सम्बन्धी सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| २४) | व्यवसाय दर्ता/नवीकरण सिफारिस | २०० /- | २०० /- | २०० /- |
| २५) | उद्योग ठाउँ सारी सिफारिस | १,०००/- | १,०००/- | ५००/- |
| २६) | विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिस | ५०० /- | ५०० /- | ५०० /- |
| २७) | विद्यालय संचालन स्वीकृति/कक्षा बृद्धि सिफारिस | ५००/- | ५००/- | ५००/- |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| २८) | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| २९) | जग्गा दर्ता सिफारिस | १००/- | १००/- | १००/- |
| ३०) | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | १००/- | १००/- | १००/- |
| ३१) | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | २००/- | २००/- | २००/- |
| ३२) | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | २००/- | २००/- | २००/- |
| ३३) | जिवित सँगको नाता प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ३४) | मृतक सँगको नाता प्रमाणित | १००/- | १००/- | १००/- |
| ३५) | कोठा खोल्न कार्य/रोहबरमा बस्ने कार्य | ५०० /- | ५०० /- | ५०० /- |
| ३६) | निशुल्क वा स-शुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश | १००/- | १००/- | १००/- |
| ३७) | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य | २००/- | २००/- | २००/- |
| ३८) | संस्था दर्ता सिफारिस | २००/- | २००/- | २००/- |
| ३९) | घर बाटो प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ४०) | चार किल्ला प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ४१) | जन्म मिति प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ४२) | विवाह प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ४३) | घर पाताल प्रमाणित | २००/- | २००/- | २००/- |
| ४४) | कागज/मन्जुरी नामा प्रमाणित | १००/- | १००/- | १००/- |
| ४५) | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | ५००/- | ५००/- | ५००/- |
| ४६) | अविवाहित प्रमाणित | ५००/- | ५००/- | २००/- |
| ४७) | जग्गा रेखाङ्कनको कार्य/सो कार्यमा रोहबर | ५०० /- | ५०० /- | ५०० /- |
| ४८) | जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारिस | २०० /- | २०० /- | २०० /- |
| ४९) | पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | १०० /- | १०० /- | १०० /- |
| ५०) | अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित | नेपाली सिफारिश दस्तुरको दोब्बर | नेपाली सिफारिश दस्तुरको दोब्बर | नेपाली सिफारिश दस्तुरको दोब्बर |
| ५१) | मिलापत्र कागज /उजुरी दर्ता | १०० /- | १०० /- | १०० /- |
| ५२) | सम्पत्ति प्रमाणित सिफारिश | ०.१ % | ०.१ % | ०.१ % |
| ५३) | वार्षिक आय प्रमाणित | ०.१ % | ०.१ % | ०.१ % |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| ५४) | उल्लेखित बाहेक अन्य सिफारिस / प्रमाणितहरू | २०० /- | २०० /- | २०० /- |
|-----|---|--------|--------|--------|

द्रष्टव्यः (क) जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाई सराई दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, विवाह दर्तामा भने जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता) ऐन, २०३३ बमोजिम हुनेछ भने घटना घटेको ३५ दिन नाघी आएमा रु ५० जरिवाना लाग्नेछ ।

(ख) सरकारी निकाय/सामुदायिक विद्यालय/उपभोक्ता समितिहरूको सिफारिशमा सिफारिश दस्तुर लाग्ने छैन ।

अनुसूची-१२

१३. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पर्यटकीय स्थानमा प्रवेश गर्नको लागि तपसिल बमोजिमको शुल्क लाग्नेछ ।

| क्र. सं. | पर्यटक | शुल्क रु. | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १ | आन्तरिक (गाउँपालिका भित्रको व्यक्ति) | २०/- | २०/- | ५ |
| २ | आन्तरिक (गाउँपालिका बाहेक दोलखा र रामेछाप जिल्लाका व्यक्ति) | ३०/- | ३०/- | १० |
| ३ | आन्तरिक (अन्य नेपाली नागरिक) | ५०/- | ५०/- | २० |
| ४ | वाह्य (विदेशी नागरिक) | १००/- | १००/- | ५० |

विद्यार्थी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र धार्मिक पर्यटक हो भन्ने परिचय खुलेमा पचास प्रतिशत रकम छुट हुनेछ । साथै यस्ता क्षेत्रमा फोहोरमैला गरेमा तथा अन्य कानूनद्वारा अवैध कार्य गरेमा रु. ५००/- सम्म दण्ड जरिवाना गर्न सकिने छ ।

अनुसूची-१३

१४. गाउँपालिकाले असुल गर्ने दर्ता, नविकरण तथा सिफारिस दस्तुरको दर :

| क्र.स. | विवरण | प्रति इकाई दर रु. | | |
|--------|---|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १ | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर | २,०००.०० | २,०००.०० | १००० |
| २ | रु.१ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० | व्यवसाय कर लिई नविकरण गर्ने |
| ३ | रु. १ लाख देखी रु.५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | ७००.०० | ७००.०० | |
| ४ | रु.५ लाख देखी रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| ५ | रु.१० लाख आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | १,५००.०० | १,५००.०० | |
| ६ | रु.१० लाख भन्दा माथी आर्थिक कारोबार प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर | २५ | २५ | |
| ७ | खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | ५०० |
| ८ | सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | ५०० |
| ९ | खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समिति नविकरण | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| १० | व्यक्तिगत घटना दर्ता(पंजीकरण) त्रुटी/गलती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ११ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर | २००.०० | २००.०० | २००.०० |
| १२ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्र निकायहरुमा सिफारिस दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | ५०० |
| १३ | कुनै विज्ञ/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | ५०० |
| १४ | लघु जलविद्युत आयोजना (२ मेघावट सम्म) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| १५ | लघु जलविद्युत आयोजना (२ मेघावट भन्दा माथी) को निर्माण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | ५,०००.०० | ५,०००.०० | २००० |

| क्र.स. | विवरण | प्रति इकाई दर रु. | | |
|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| १६ | जलविद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस दस्तुर | ५००.०० | ५००.०० | १००० |
| १७ | घ वर्गको इजाजतपत्र प्रदान | १०,००० /- | १०,००० /- | ५००० |
| १८ | घ वर्गको इजाजतपत्र नवीकरण | ३,०००/- | ३,०००/- | व्यवसाय कर लिङ्ग नविकरण |
| १९ | घ वर्गको इजाजतपत्र प्रतिलिपि | ५,०००/- | ५,०००/- | २००० |
| | फिल्ड रेखाङ्कन वापत | | | |
| २० | न्युनतम २ रोपनी वा १ कित्ता | | | रु. ५०० |
| २१ | न्युनतम २ रोपनी वा १ कित्ता भन्दा माथी प्रतिरोपनी वा प्रतिकित्ता | | | रु.१०० |

द्रष्टव्यः सरकारी निकाय/सामुदायिक विद्यालय/उपभोक्ता समितिहरुको सिफारिशमा सिफारिश दस्तुर लाग्ने छैन ।

१५. फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

- क) आवासीय घर ३ तल्ला सम्म रु. १५०/-
- ख) ३ तल्ला भन्दा माथि रु. १५०/-
- ग) भाडाको सटर भए प्रति पसल थप रु. १५०/-
- घ) सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप रु. १५० /-
- ङ) ठुला प्रकृतिका होटल लज रु. ५००/-
- च) हस्पिटल रु. ५००/-
- छ) अन्य संघ संस्था रु. १५०/-
- ज) मेडिकल रु. २००/-
- झ) पोलिक्लिनिक रु. ३००/-

ञ) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाको निर्णय वमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१४

१६. भवन निर्माण / सम्पन्न तथा नक्सापास दस्तुर दर :

| क्र. सं. | विवरण | ईकाइ | दर | | |
|----------|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७६/७७ | आ.व. २०७७/७८ | आ.व. २०७८/७९ |
| | | | | ८ | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------|-------|------|
| १ | आर सि सि ढलान भवन आवसिय | प्रति वर्ग फिट | रु. ४ | रु. ४ | रु.२ |
| २ | आर सि सि ढलान भवन व्यवसायिक | प्रति वर्ग फिट | रु. ६ | रु. ६ | रु.३ |
| ३ | गारो वाला घर | प्रति वर्ग फिट | रु. ३ | रु. ३ | रु.१ |
| ४ | वैकल्पिक सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिएको घर | प्रति वर्ग फिट | रु. ३ | रु. ३ | रु.१ |
| ५. | भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र | प्रति घर | ५०० | ५०० | ५०० |

द्रष्टव्यः क. निर्मित भवन अभिलेखीकरणको लागि कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना बमोजिमको म्याद भित्र अभिलेखीकरणको लागि निवेदन पेश भएमा माथि उल्लिखित दरमा २५ प्रतिशत छुट दिइने छ । सूचनामा उल्लिखित समयमा निर्मित भवन अभिलेखीकरण नगराएमा पूरा दस्तुर लाग्ने छ ।

ख. नक्सापस नगरी घर निर्माण गरी निर्माण सम्पन्न लिन आएका वा घर निर्माणको लागि नक्सापास गरे बमोजिम भन्दा फरक संरचना बनाएमा तोकिएको दरमा जम्मा हुन आउने रकमको सत प्रतिशत जरिवाना गरिनेछ ।

अनुसूची-१५

१७.दहत्तर बहत्तर

१. बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा बिक्री दरः-प्रदेश कानून बमोजिम गाउँपालिकाको निणयानुसार हुनेछ ।

प्रमाणीकरण मिति २०७८ असार ११ गते

आज्ञाले,

सन्तोष दाहाल

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत